रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1643] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 2012/भाद्र 2, 1934

No. 1643] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 2012/BHADRA 2, 1934

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2012

**का.आ. 1966(अ).**—जबकि, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 1 मई, 2000 को प्रकाशित सा.का.नि. 371 (अ) के तहत प्रवृत्त हुआ और जिससे उक्त अधिनियम के उपबंध 1 जून, 2000 से प्रभावी हुए ।

और जबकि, केन्द्र सरकार विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1973 (1973 का 46) (निरस्त अधिनियम) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) के साथ पठित धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संख्या सा.का.नि. 308(अ) दिनांक 20 मार्च, 2003, 395 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2003, 986(अ) दिनांक 28 अगस्त, 2003, 964(अ) दिनांक 25 अगस्त, 2003, 1394(अ) दिनांक 28 नवम्बर, 2003 और 1424(अ) दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित आदेशों द्वारा निरस्त अधिनियम के तहत उल्लंघन के कतिपय मामलों पर न्यायनिर्णयन करने के लिए केन्द्र सरकार के कतिपय अधिकारियों को नियुक्त किया ।

अब, अत: निरस्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) के साथ पठित धारा (50) और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1992 का 42) की धारा 49 की उप-धारा (3), (4) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में और सभी पूर्वोक्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए कार्य के रूप में या किए जाने का लोप छोड़कर केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्न तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय के निम्न अधिकारियों को न्यायनिर्णयन के उद्देश्य के लिए निरस्त अधिनियम के उपबंधों के तहत 31 मई, 2002 को या पहले उल्लंघनों के संबंध में उक्त तालिका के कालम (3) में अंतर्ग्रस्त यथानिर्दिष्ट राशि या मूल्य का जांच करने हेतु न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं :–

### तालिका

| क्रम सं. | अधिकारियों के पदनाम | उल्लंघन राशि या मूल्य |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| (1) | निदेशक प्रवर्तन | पांच करोड़ रुपये से अधिक की राशि या मूल्य वाले मामले । |
| (2) | विशेष निदेशक, प्रवर्तन | पांच करोड़ रुपये से अधिक की राशि या मूल्य वाले मामले । |
| (3) | अपर निदेशक, प्रवर्तन | ऐसे मामले जहां तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि या मूल्य हो लेकिन पांच करोड़ से अधिक न हो । |
| (4) | संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन | ऐसे मामले जहां एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि या मूल्य हो लेकिन तीन करोड़ से अधिक न हो । |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| (5) | उप निदेशक, प्रवर्तन | ऐसे मामले जो पचास लाख रुपये से अधिक की राशि या मूल्य वाले हों लेकिन एक करोड से अधिक न हो । |
| (6) | सहायक निदेशक, प्रवर्तन | ऐसे मामले जहां राशि या मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक न हो । |

[फा. सं. के-11022/80/2011-एडी. ई डी]

आर. एन. सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2012

**S.O. 1966(E).**—Whereas, the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) was brought into force *vide* G.S.R 371(E) published in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (i) on 1 st May, 2000 giving effect to the provisions of the said Act from 1st June, 2000.

And, whereas, the Central Government by orders published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* Number G.S.R.308(E) dated 20th March, 2003, 395(E) dated 31st March, 2003, 986(E) dated 28th August, 2003, 964(E) dated 25th August, 2003, 1394(E) dated 28th November, 2003 and 1424(E) dated 16th December, 2003 in exercise of the powers conferred by Section 50 read with sub-section (1) and (3) of Section 4 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) (repealed Act), appointed certain officers of the Central Government to adjudicate certain cases of contravention under the repealed Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 50 read with sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the repealed Act and sub-sections (3), (4) and (5) of Section 49 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in supersession of all the aforesaid notifications, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the following officers of the Directorate of Enforcement under the Department of Revenue specified in Column (2) of the Table below as adjudicating officers for the purpose of adjudicating cases involving an amount or value of contravention as specified in Column (3) of the said Table in respect of those contraventions made on or before the 31st May, 2002 under the provisions of the repealed Act :—

**TABLE**

| Sl. No. | Designation of Officers | Amount or value of contravention |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| (1) | Director of Enforcement | Cases involving amount or value exceeding Rupees five crore |
| (2) | Special Director of Enforcement | Cases involving amount or value exceeding Rupees five crore |
| (3) | Additional Director of Enforcement | Cases involving an amount or value in excess of Rupees three crore but not exceeding Rupees five crore |
| (4) | Joint Director of Enforcement | Cases involving an amount or value in excess of Rupees one crore but not exceeding Rupees three crore |
| (5) | Deputy Director of Enforcement | Cases involving an amount or value of Rupees fifty lakh but not exceeding Rupees one crore |
| (6) | Assistant Director of Enforcement | Cases involving amount or value not exceeding Rupees fifty lakh. |

[F.No. K-11022/80/2011-Ad.ED]

R. N. SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.